न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण)

(पीठासीन अधिकारीः–पंकज कुमार, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–49/25

प्रार्थी–

1. बलूराम उर्फ बालूराम पुत्र स्व0 श्री कंवरलाल जी देवडा, जाति देवडा–घांची उम्र 64 वर्ष निवासी– जुनावों की ढाणी, डर्बी टैक्सटाईल के पीछे, ग्राम पाल, जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुडी भगतासनी, जोधपुर
2. ताराचन्द जैन पुत्र श्री मोहनलाल जैन, जाति जैन, निवासी–सैक्टर ए, मकान नं0 98, शास्त्रीनगर, जोधपुर
3. महावीर लूणीया पुत्री श्री माणकचन्दजी, जाति ओसवाल, निवासी–सेक्टर बी मकान नं0 32 शास्त्रीनगर जोधपुर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 131 भू0राजस्व अधिनियम

प्रकरण संख्या–87/25

प्रार्थीगण–

1– ताराचन्द जैन पुत्र श्री मोहनलाल जैन, जाति जैन, निवासी–सैक्टर ए, मकान नं0 98, शास्त्रीनगर, जोधपुर

2– महावीर लूणीया पुत्री श्री माणकचन्दजी, जाति ओसवाल, निवासी–सेक्टर बी मकान नं0 32 शास्त्रीनगर जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1– बलूराम उर्फ बालूराम पुत्र स्व0 श्री कंवरलाल जी देवडा, जाति देवडा–घांची उम्र 64 वर्ष निवासी– जुनावों की ढाणी, डर्बी टैक्सटाईल के पीछे, ग्राम पाल, जोधपुर

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) जोधपुर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम

प्रकरण संख्या 86/25

प्रार्थीगण–

1– ताराचन्द जैन पुत्र श्री मोहनलाल जैन, जाति जैन, निवासी–सैक्टर ए, मकान नं0 98, शास्त्रीनगर, जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (दक्षिण)

Scanned with OKEN Scanner

2– महावीर लूणीया पुत्री श्री माणकचन्दजी, जाति ओसवाल, निवासी–सेक्टर बी मकान नं0 32 शास्त्रीनगर जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1– बलूराम उर्फ बालूराम पुत्र स्व0 श्री कंवरलाल जी देवडा, जाति देवडा–घांची उम्र 64 वर्ष निवासी– जुनावों की ढाणी, डर्बी टैक्सटाईल के पीछे, ग्राम पाल, जोधपुर

2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम

उपस्थित– अधिवक्ताः– श्री एल0आर0उपाध्याय बलूराम उर्फ बालूराम की ओर से
अधिवक्ताः– श्री अक्षय कुमार दवे एवं श्रीमती रेणु बोहरा ताराचन्द जैन तथा महावीर लूणीया की ओर से

//आदेश // दिनांक 25/7/25.

उपरोक्त तीनों प्रकरण समान पक्षकारान द्वारा समान विवाद विषय वस्तु को लेकर प्रस्तुत किये गये है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य उत्पन्न हुए विवाद का निस्तारण उनकी सहमति अनुसार एक ही आदेश के जरिये करते हुए यह आदेश पारित किया जा रहा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगंण ताराचन्द वगैरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रभावित पक्षकार बलूराम को भी बतौर अप्रार्थी पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। जबकि बलूराम द्वारा पडौसी खेत खसरा नं0 291/8 के खातेदार ताराचन्द तथा महावीर लूणीया को पक्षकार के रूप में संयोजित नही किया गया है। किन्तु चूंकि ताराचन्द तथा महावीर लूणीया प्रार्थी बलूराम द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक एवं उचित पक्षकार है जिनके अभाव में पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद का अन्तिम रूप से निस्तारण भी संभव नही है। जिस कारण ताराचन्द तथा महावीर लूणीया को उक्त प्रकरण सं0 49/2025 में बतौर अप्रार्थी पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया चूंकि दोनों ही पक्षकार के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित है। जिनके द्वारा एक दूसरे द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अपने पक्षकार की ओर से नोटिस प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही में हिस्सा लिया गया जिस कारण नोटिस पृथक से जारी नही कर अप्रार्थीगण की उपस्थिति दर्ज की गई। तीनों प्रकरण समान पक्षकारान द्वारा समान विवाद विषय वस्तु होने से सभीं प्रकरण का निस्तारण एक ही आदेश के जरिये किया जा रहा है जिस कारण मूल आदेश प्रकरण संख्या 49/2025 में संलग्न करते हुए इसकी प्रति प्रकरण संख्या 87/2025 तथा प्रकरण संख्या 86/2025 में सलग्न की जाती है।

प्रार्थी बलूराम द्वारा धारा 131 भू राज0 अधिनियम के तहत यह प्रकरण प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है कि ग्राम पाल तहसील कुडी भगतासनी जिला जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण)

Scanned with OKEN Scanner

के खसरा नं0 291/2 रकबा 25 बीघा की उसकी एकल खातेदारी की कृषि भूमि का विकय प्रार्थी बलूराम द्वारा महावीर लूणीया, ताराचन्द व बाबूलाल के हक में निष्पादित कर कब्जा सुपुर्द किया गया था। जिसके अनुसरण में केतागण के पक्ष में नामान्तरकरण पारित करते हुए उक्त केतागण के हक हिस्से की भूमि को राजस्व नक्शे में भी तरमीम दर्शाते हुए पृथक से खसरा नं0 291/8 रकबा 14 बीघा दर्ज कर दिया गया। मूल रूप से खसरा नं0 291 कुल 106 बीघा 5 बिस्वा का था, जो प्रार्थी एवं दीगर खातेदारान के मध्य विभाजन होने के उपरान्त प्रार्थी के हिस्से में 25 बीघा भूमि आई । प्रार्थी के भाईयों द्वारा स्वयं के हक हिस्से की भूमि का बेचाननामा निष्पादित कर कब्जा भी केतागण को किया जा चुका है। जिनके पृथक से खसरा नंम्बर भी अंकित है। किन्तु नक्शे में खसरा नं0 291 दो पृथक पृथक स्थानों पर अंकित कर दिये गये है प्रार्थी द्वारा ताराचन्द वगैरा को विकय की गई। भूमि के खसरा नं0 291/8 नक्शे में अंकित करते हुए तरमीम की गई है। ऑन लाईन नक्शे में खसरा नं0 291/8 को दो स्थानों पर दर्शाये गये खसरा नं0 291 को विलोपित करते हुए सम्पूर्ण भूमि पर दर्शा दिया गया है। इन इन्द्राजात के विधमान रहते हुए पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद उत्पन्न होने की संभावना भी है। इसी प्रकार अन्य खसरा नम्बर के बाबत भी त्रुटि कारित की गई है। पूर्व में की गई तरमीम के संबंध में राजस्व नक्शे का भी संधारण किया गया था। जो संलग्न प्रस्तुत किये जा रहे है। मौके पर पक्षकारान काबिज है। नवीन नक्शा बनाते समय प्रार्थी की कोई सहमति नही ली गई तथा न ही किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश भी पारित किया गया। किन्तु उसके बावजूद भी अशुद्ध तरमीम दर्शा दी गई है। जिसे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। हल्का पटवारी द्वारा बार बार निवेदन के भी आज दिन तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की गई है। अनावश्यक विवाद तथा मुकदमेंबाजी से बचने एवं पडौसी खातेदारान से मधुर संबंधों को बनाये रखने के आशय से मौजूदा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही है। अन्त में प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकोर्ड नक्शे की पूर्व स्थिति बहाल करते हुए अशुद्ध इन्द्राजात को हटाये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी ताराचन्द वगैरा द्वारा समान तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खसरा नं0 291/2 कुल रकबा 25 बीघा ग्राम पाल तहसील कुडी भगतासनी जोधपुर के एकल खातेदार अप्रार्थी बलूराम द्वारा स्वयं के खातेदारी की उपरोक्त भूमि मे से 14 बीघा भूमि का विकय विशिष्ठ पडौस दर्शाते हुए जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख के दिनांक 24–2–2005 को प्रार्थीगण ताराचन्द, महावीर लूणीया एवं बाबूलाल के हक में निष्पादित करते हुए कब्जा भी प्रार्थीगण को सुपुर्द कर दिया गया। कालान्तर में बाबूलाल द्वारा अपना हक हिस्सा प्रार्थी महावीर लूणीया के हक में विकय कर कब्जा भी महावीर लूणीया को सुपुर्द कर दिया। प्रार्थीगण पंजीबद्ध विकय विलेख के

उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण)

Scanned with OKEN Scanner

जरिये अपनी खरीदसुदा भूमि पर काबिज है तथा इस संबंध में राजस्व रिकोर्ड का संधारण करते हुए नक्शे में भी प्रार्थीगण की खरीदसुदा 14 बीघा भूमि को तरमीम दर्शाकर खसरा नं0 291/8 रकबा 14 बीघा के रूप में चिन्हित कर दिया गया। अप्रार्थी सं0 1 की खसरा नं0 291/2 की शेष 11 बीघा भूमि तथा प्रार्थीगण की खरीदसुदा खसरा नं0 291/8 की कुल 14 बीघा भूमि भिन्न भिन्न भूमियॉ है। जिस संबंध में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद भी नहीं है। वास्तव में खसरा नं0 291 को विभिन्न भागों में दर्शाते हुए खसरा नं0 291/2 तथा खसरा नं0 291/8 की भूमि को पृथक पृथक दर्शाते हुए दो स्थानों पर मूल खसरा नं0 291 की भूमि दर्शाई गई है। किन्तु कम्प्यूटीकरण के दौरान खसरा नं0 291/2 की एवं 291/8 की भूमि के बाबत नक्शे में त्रुटि पूर्ण इन्द्राज कर दिये गये हैं तथा खसरा नं0 291 की दो स्थानों पर दशाई गई भूमि को विलोपित कर दिया गया है। जिस संबंध में किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आज दिन तक कोई आदेश पारित नही किया गया है। जो त्रुटिपूर्ण इन्द्राज एक लिपिकीय त्रुटि है। जिसे सुधार करते हुए खसरा नं0 291/2 रकबा 11 बीघा तथा खसरा नं0 291/8 रकबा 14 बीघा भूमि पृथक पृथक पुर्वानूसार दर्ज किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा राजस्व रिकोर्ड के त्रुटिपूर्ण इन्द्राजात के आधार पर अनावश्यक विवाद उत्पन्न करते हुए न्यायिक कार्यवाहियां भी प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं ऐसी स्थिति में राजस्व रिकोर्ड में उत्पन्न हुई त्रुटियों का सुधार करते हुए पूर्व स्थिति बहाल किया जाना आवश्यक है।

प्रकरण संख्या 86/2025 बअनवान ताराचन्द बनाम बलूराम वगैरा अन्तर्गत धारा 111, 128 भू0राजस्व अधि0 का प्रस्तुत करते हुए प्रार्थीगण द्वारा अपने हक अधिकार तथा राजस्व रिकोर्ड के संबंध में पूर्वानुसार कथन करते हुए निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण अपने हक हिस्से के खसरा नं0 291/8 कुल रकबा 14 बीघा ग्राम पाल तहसील कुडी भगतासनी की भूमि पर प्रार्थीगण साधिकार काबिज है अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रार्थीगण के रेकर्डेड खातेदारी की कृषि भूमि को स्वयं की भूमि बताते हुए प्रार्थीगण की भूमि के नाप एवं सीमांकन को लेकर आज दिन विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। तथा लडाई झगडे भी किये जा रहे है। जिस कारण सीमाकन को लेकर पक्षकारान के मध्य गम्भीर विवाद उत्पन्न हो चुका है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि की पेमाईश करवाकर पत्थरगढी करवाना आवश्यक हो गया है ताकि भविष्य में सीमांकन को लेकर पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नही हो। प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष सीमाकन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भी किसी प्रकार की कोई प्रभावी कार्यवाही अमल में नही लाई गई। जिस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजूदा प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्त में प्रार्थीगण द्वारा स्वयं के रिकोर्डेड खातेदारी की खसरा नं0 291/8 कुल रकबा 14 बीघा ग्राम पाल तहसील

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (दक्षिण)

Scanned with OKEN Scanner

कुडी भगतासनी जिला जोधपुर का सीमांकन करवाकर पत्थरगढी करवाई जाने का निवेदन किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। अधिवक्ता पक्षकारान द्वारा अपने अभिवचनों की पुनरावृति करते हुए स्वयं द्वारा प्रस्तुत याचिकाऐं स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। जिस संबंध में पत्रावलीयों का गहनतापूर्ण अवलोकन किया गया। प्रकरण सं0 49/2025बलूराम बनाम राजस्थान राज्य तथा प्रकरण संख्या 87/2025 ताराचन्द बनाम बलूराम राजस्व रिकोर्ड नक्शे में ऑन लाईन के दौरान की गई त्रुटि को सुधार किये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये है जिस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने से यह जाहिर होता है कि दोनों ही पक्षकारान द्वारा पूर्व से संधारित राजस्व नक्शा किस्तवार की प्रति एवं वर्तमान कम्प्यूटीकरण के दौरान तेयार किये गये नक्शे की प्रति प्रस्तुत की गई है। जिन दोनों ही नक्शो का तुलनात्मक अध्ययन किये जाने पर यह स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि खसरा नं0 291/2 का तो विधिवत रूप से अंकन किया गया है किन्तु पूर्व में संधारित नक्शा किस्तवार में दो स्थानों पर दर्शाये गये खसरा नं0 291 की भूमि का अंकन नहीं किया गया है। एवं सम्पूर्ण भूमि को ही खसरा नं0 291/8 के रूप में त्रुटिवश दर्शाया गया है। जिससे समस्त पक्षकारान स्वीकार करते है। यह स्पष्ट रूप से जाहिरा त्रुटि है जिससे पक्षकारान के मध्य विवाद उत्पन्न होने की संभावना भी रहती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण ताराचन्द वगैरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सं0 87/2025 स्वीकार किया जाता है तथा बलूराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सं0 49/2025 आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तहसीलदार कुडी भगतासनी को आदेश दिये जाते है कि राजस्व आन लाईन नक्शे में खसरा नं0 291/8 कुल रकबा 14 बीघा ग्राम पाल तहसील कुडी भगतासनी जिला जोधपुर की भूमि का विधिवत रूप से अंकन व तरमीम संशोधित करते हुए दर्ज करे।

प्रकरण संख्या 86/2025 ताराचन्द वगैरा द्वारा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है कि पक्षकारान के मध्य नाप एवं सीमाकन को लेकर आये दिन विवाद उत्पन्न होता रहता है अप्रार्थी प्रार्थीगण से लडाई झगडा भी करता रहता है। जिस कारण मौके पर सीमाकन को लेकर विवाद उत्पन्न हो चुका है। ताराचन्द वगैरा अपनी खातेदारी की भूमि की पेमाईश करवाकर भूमि को विकसित करना चाहते है। जिस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी की खसरा नं0 291/8 कुल रकबा 14 बीघा ग्राम पाल तहसील कुडी भगतासनी जिला जोधपुर की भूमि का विधिवत रूप से सीमाकन करते हुए पत्थरगढी करवाया जाना भी आवश्यक है। अप्रार्थी द्वारा विवाद के तथ्य से इन्कार किया गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियो को मददेनजर रखते हुए चूंकि राजस्व रिकोर्ड नक्शे में भी अशुद्ध तरमीम की गई थी। जिसके चलते पक्षकारान के मध्य विवाद होने की संभावना भी रहती है पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद का अन्तिम रूप से निस्तारण

उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (दक्षिण)